

सामान्य आवंटन/नीलामी स्थल जोन का नाम ई-नीलामी हेतु सम्पत्तियों का विवरण

कार्यालय सम्पत्ति प्रबंध, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ	लखनऊ	आझपाली योजना, अवध विहार योजना एवं वृन्दावन योजना, (लखनऊ) (व्यावसायिक, प्रीमियम हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत तथा हेल्थ सेक्टर/ नर्सिंग होम भूखण्ड)
---	-------------	---

कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन), आफिस काम्पलेक्स (भूतल), कैशपुरपुर, कल्याणपुर, कानपुर	कानपुर	कैशपुरपुर योजना-1, अम्बेडकरपुरम् योजना-3, हंसपुरम् योजना-2 (कानपुर), लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद), सूत मिल योजना (इटावा) (ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, संस्थागत, प्रीमियम हाउसिंग भूखण्ड, हेल्थ क्लब, कम्युनिटी सेक्टर (लीज पर), हेल्थ सेक्टर/नर्सिंग होम कन्वीनियन्स शॉप, फैसिलिटी भूखण्ड)
--	---------------	--

आफिस काम्पलेक्स (भूतल), सेक्टर-13, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा	आगरा	सिकन्दरा योजना (आगरा), शिकोहाबाद योजना (शिकोहाबाद), फिरोजाबाद योजना (फिरोजाबाद), हाथरस योजना (हाथरस), कासगंज योजना (कासगंज), योजना संख्या-1 (बुलन्दशहर) (व्यावसायिक, फैसिलिटी, कन्वीनियन्स शॉप, हेल्थ सेक्टर, मल्टीप्लेक्स, संस्थागत, कम्युनिटी सेक्टर भूखण्ड (लीज पर)
---	-------------	--

सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, योजना सं0-6, मेरठ	मेरठ	मंगल पाण्डे नगर योजना-1, ट्रांसपोर्ट नगर योजना-2, शास्त्री नगर योजना-3 तथा 7 (मेरठ), जागृति विहार योजना-6 तथा 11 (विस्तार) (मेरठ), शाकूमहरी विहार (मवीकलां योजना-8) (सहारनपुर), वसुन्धरा योजना, सिद्धार्थ विहार योजना, मण्डोला विहार योजना (गाजियाबाद) [कन्वेन्शन सेंटर, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, होटल, प्रीमियम हाउसिंग, कन्वीनियन्स शॉप, पेट्रोल/डीजल भूखण्ड]
---	-------------	--

कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (बरेली जोन) आफिस कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइन्स, बरेली	बरेली	शाहजहांपुर योजना (शाहजहांपुर), संभल गेट योजना (चन्दौसी), मसौला योजना, जिगर विहार योजना (मुरादाबाद) [व्यावसायिक, कम्युनिटी सेंटर, प्रीमियम, ग्रुप हाउसिंग, सेक्टोरियल कनवीनियन्स शॉपिंग भूखण्ड]
--	--------------	---

कार्यालय सम्पत्ति प्रबंध, आफिस काम्पलेक्स, अंगुरीबाग योजना, अयोध्या (कैलाबाद)	वाराणसी	कबीर नगर योजना [आवासीय भूखण्ड] (वाराणसी), चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, [आवासीय भूखण्ड] (मेहदीरी) प्रयागराज
---	----------------	--

ई-नीलामी पोर्टल
<http://upavp.mjunction.in>

- ई-नीलामी हेतु पंजीकरण अवधि दिनांक 25.02.2020 से 16.03.2020 तक
- ई-नीलामी हेतु वैध/पात्र आवेदक आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि दिनांक 17.03.2020 से 23.03.2020 तक जमा कर सकते हैं।
- आवंटन/नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता सील्ड बिड फार्म स्थानीय सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त कर नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक निर्धारित टोकन धनराशि के बैंक ड्राफ्ट सहित सील्ड बिड/आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं।

परिषद द्वारा निर्मित/विकसित समस्त सम्पत्तियों (आवासीय/अनावासीय) के आवंटन के पश्चात एक मुहूर्त 60 दिन में भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट दिये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।

नोट: (1) किसी भी आवंटन / नीलामी एवं ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नीलामी की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आवास आयुक्त में निहित है। (2) आवंटन / नीलामी एवं ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है। (3) निर्माण सम्बन्धी नियम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे। (4) ई-नीलामी हेतु सील्ड बिड या ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें : 033-66031798, 033-44091798 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 5.30)
टोल फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 6.00) ई-मेल : upavp.helpdesk@mjunction.in